

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क0/नर्सिंग/सेल-3/2019-20/55

भोपाल दिनांक 18/01/ 2019

// विज्ञापन सूचना //

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में कार्य सम्पादन हेतु 06 माह के "सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ" हेतु गैर-शासकीय संस्थानों से बी.एस.सी. नर्सिंग उत्तीर्ण महिला आवेदकों से दिनांक 18 से 24 जनवरी 2019 शाम 05.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञापन संबंधी विस्तृत जानकारी, नियम पुस्तिका हेतु विभागीय वेबसाइट www.health.mp.gov.in एवं www.nhmmp.gov.in का अवलोकन करें।

ऑनलाईन आवेदन www.mponline.gov.in पर करें। ऑनलाईन आवेदन ही मान्य किये जायेंगे।

Sm

उप संचालक नर्सिंग
संचालनाय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के क्रियान्वयन हेतु
सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ (ब्रिज कोर्स) चयन परीक्षा
(गैर शासकीय संस्थानों से BSc. नर्सिंग उत्तीर्ण केवल महिला आवेदकों
के लिये)

RULE BOOK

2019

**DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, BHOPAL**

सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ (ब्रिज कोर्स) सेलेक्शन टेस्ट
म. प्र. राज्य के लिये

महत्वपूर्ण जानकारी

1. पात्रता : गैर शासकीय संस्थानों से BSc.नर्सिंग उत्तीर्ण केवल महिला आवेदकों के लिये
2. परीक्षा शहर : एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाईट पर दर्शाये अनुसार।
3. आवेदन-पत्रों की उपलब्धता: दिनांक 18 से 24 जनवरी 2019 तक

सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ (ब्रिज कोर्स) प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में प्रशिक्षण हेतु
चयन के लिए नियम 2019

सामान्य :-

- 1.1 ये नियम राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के "सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ (ब्रिज कोर्स) प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम" कहलायेंगे।
- 1.2 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ (ब्रिज कोर्स) के विभिन्न प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में प्रवेश चाहते हैं।
- 1.3 गैर शासकीय संस्थानों से BSc.नर्सिंग उत्तीर्ण केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र होंगे।

2. परिभाषाएं :-

इन नियमों में -

1. राज्य शासन से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन।
2. टेस्ट से तात्पर्य है CERTIFICATE COURSE IN COMMUNITY HEALTH SELECTION TEST/सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ (ब्रिज कोर्स) चयन परीक्षा।
3. आयुक्त से तात्पर्य है स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
4. आरक्षित वर्ग से तात्पर्य है 3 वर्गों के उम्मीदवार यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग।
5. विभाग से तात्पर्य है संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

3. अर्हता :-

3.1 सामान्य अर्हता :-

- i) गैर शासकीय संस्थानों से BSc.नर्सिंग उत्तीर्ण केवल महिला उम्मीदवार।

3.2 शैक्षणिक अर्हता :-

- प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ (ब्रिज कोर्स) में प्रवेश हेतु उम्मीदवार भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से बी.एस.सी.नर्सिंग में उत्तीर्ण हो एवं मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल में पंजीकृत हो।

3.3 आयु सीमा :- अधिकतम आयु दिनांक 01/12/2018 को 35 वर्ष हो। आरक्षित वर्ग हेतु आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

स्पष्टीकरण :- आयु-सीमा की गणना करते समय हाईस्कूल प्रमाण-पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

4. निरर्हताएं :-

- I. निम्न संस्थाओं से उत्तीर्ण BSc.नर्सिंग मान्य नहीं होगा :-

- 1 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)
- 2 भोज विश्वविद्यालय
- 3 Distance learning
- 4 प्राइवेट अभ्यर्थियों के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण

- II. किसी उम्मीदवार की ओर से उम्मीदवार के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।

- III. परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार एवं शांति भंग करने का प्रयास करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जा सकेंगे।
- IV. फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज में फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छिपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो तो ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य माना जावेगा।
- V. पररूपधारण (इम्पर्सोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो तो परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- VI. कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला पुलिस/न्यायालय में विचारित है अथवा विभागीय जाँच लंबित है परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनर्ह होगा।
- VII. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में यह प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है उन्हें पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं है।

4 चयन प्रक्रिया :-

- 4.1 अभ्यर्थियों द्वारा एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से पंजीयन एवं च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया की जावेगी, जिसका शुल्क अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा।
- 4.1 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ (ब्रिज कोर्स) प्रशिक्षण में चयन हेतु एम.पी. ऑनलाईन मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा ऑनलाईन चयन परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 4.2 पात्र अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में भाग लेने के लिये एम. पी. आनलाईन पोर्टल पर अपना आनलाईन पंजीयन विनिर्दिष्ट समय सीमा में कराया जाना आवश्यक है।
- 4.3 प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदन करते समय निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेंगे।

परिशिष्ट - 'अ'

- 4.4 प्रवेश परीक्षा द्वारा चयन के लिये न्यूनतम अर्हकारी अंक 40 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है।
- 4.5 समान अंक होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की उम्र ज्यादा होगी वह मेरिट में दूसरे अभ्यर्थियों से ऊपर होगा।
- 4.6 प्रश्न पत्र में नर्सिंग के समस्त विषयों से संबंधित 100 MCQ का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे होगी।
- 4.7 प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थियों का कौशल एवं दक्षता आंकलन (Skill & Competency Assessment) किया जावेगा। कौशल एवं दक्षता आंकलन में उत्तीर्ण होने पर ही परीक्षार्थी सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ (ब्रिज कोर्स) में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। ऑनलाईन प्रवेश परीक्षा एवं कौशल एवं दक्षता आंकलन के आधार पर मेरिट सूची जारी की जायेगी।
- 4.8 कौशल एवं दक्षता आंकलन (Skill & Competency Assessment) हेतु 02 स्किल्स का आंकलन किया जायेगा। प्रत्येक स्किल के लिये 20 अंक निर्धारित होंगे। कुल 40 अंको में से उत्तीर्ण होने के लिये 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5. परीक्षा केन्द्र :- एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाइट पर दर्शाये अनुसार।

6. प्रोग्राम स्टडी सेन्टर :-

- 6.1 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ के प्रशिक्षण के लिये प्रोग्राम स्टडी सेन्टर के रूप में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर एवं उज्जैन तथा शासकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र रायसेन, विदिशा, देवास, सिवनी, दतिया एवं झाबुआ चिन्हित हैं।

- 6.2 प्रवेश परीक्षा के आवेदन में प्रोग्राम स्टडी सेंटर के स्थान चयन के विकल्प रहेंगे जिन्हें उम्मीदवार पसंद अनुसार क्रम में भरेंगे।
- 6.3 प्रोग्राम स्टडी सेंटर परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर आबंटित किये जायेंगे।
- 6.4 आबंटन के पश्चात प्रोग्राम स्टडी सेंटर का स्थान अपरिवर्तनीय होगा।

7. प्रवेश प्रक्रिया :-

- 7.1 परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात् एम. पी. आनलाईन www.mp.online के माध्यम से उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर प्रोग्राम स्टडी सेंटर आबंटित किया जावेगा।
- 7.2 आबंटन परिणाम घोषित होने के उपरांत आबंटित अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र एम. पी. आनलाईन पोर्टल से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेगा।
- 7.3 आवंटन पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगा, एवं प्रवेश हेतु पात्रता अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत पात्रता के निर्धारण पर आधारित होगा।
- 7.4 प्रोग्राम स्टडी सेंटर में निर्धारित दिनांक तक उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय उम्मीदवारों के मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरांत प्रवेश मान्य किया जावेगा।

- 8 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ (ब्रिज कोर्स) में प्रवेश हेतु चयनित **BSc.नर्सिंग** उत्तीर्ण महिला उम्मीदवार का 06 माह के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के माध्यम से अस्थायी (Temporary) अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। इग्नू रजिस्ट्रेशन शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा। अभ्यर्थियों के रहने एवं भोजन का व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा वहन किया जावेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रोग्राम स्टडी सेंटर द्वारा उपलब्ध कराये गये छात्रावास/रहवास स्थल में रहना बंधनकारी होगा। प्रशिक्षण अवधि में शासन द्वारा किसी भी प्रकार का मानदेय/स्टाईपेंड प्रदान नहीं किया जायेगा। प्रशिक्षण के समय काउन्सलिंग के द्वारा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर का आबंटन किया जायेगा तथा प्रशिक्षण पश्चात परीक्षा उत्तीर्ण करने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा सविदा स्टाफ नर्स के रूप में आबंटित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर कार्य सम्पादित करने हेतु नवीन अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा जिसमें अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित मानदेय के साथ कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि (Performance based incentive) हेतु पात्र होंगी।

9 प्रोग्राम स्टडी सेंटर में प्रवेश के लिये प्रमाण-पत्रों की सूची :-

- 9.1 प्रवेशित अभ्यर्थी को प्रोग्राम स्टडी सेंटर में प्रवेश के लिये स्वयं अपने आबंटन पत्र, आवश्यक मूल दस्तावेज एवं कोर्स हेतु निर्धारित शुल्क के साथ विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रवेश हेतु प्रस्तुत होना होगा।

- 9.2 उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ (ब्रिज कोर्स) प्रशिक्षण में प्रवेश के समय आवंटित प्रोग्राम स्टडी सेंटर में निम्न मूल प्रमाण-पत्र साथ में लाना अनिवार्य है :-

1. बी.एस.सी.नर्सिंग उत्तीर्ण अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति।
2. 10 वी की उत्तीर्ण अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति।
3. रजिस्ट्रार नर्सस कौन्सिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
4. नवीन पासपोर्ट साईज का सत्यापित फोटों।
5. रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर राशि रूपये दो लाख का अनुबंध पत्र जिसमें हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर पात्र उम्मीदवार द्वारा निरंतर न्यूनतम तीन वर्ष कार्य संपादन की सहमति का उल्लेख हो।

6. उप खण्ड अधिकारी, राजस्व मध्य प्रदेश द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं सत्यापित छायाप्रति।
 7. मूल निवासी प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं सत्यापित छायाप्रति।
 8. मेडीकल फिटनेस प्रमाण पत्र।
 9. सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ चयन परीक्षा की अंकसूची एवं प्रवेश पत्र मूलतः एवं सत्यापित छायाप्रति।
- किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार अपात्र मानी जावेगी एवं प्रवेश नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।
10. सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ (ब्रिज कोर्स) उत्तीर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को दो अवसर प्रदान किया जावेंगे।
 11. प्रवेश रद्द करना :-

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर अथवा सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् प्रमाण-पत्र फर्जी पाये गये एवं चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश शासन का निर्णय अंतिम होगा।

12. प्रशिक्षण के उपरांत न्यूनतम 3 वर्ष हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर कार्य सम्पादन अनिवार्य :-

- 12.1 उम्मीदवारों द्वारा प्रशिक्षण हेतु आवेदन स्वेच्छा से दिये गये हैं अतः प्रशिक्षण पश्चात् हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र) पर 03 वर्ष निरंतर कार्य करना अनिवार्य होगा।
- 12.2 प्रशिक्षण में प्रवेश के समय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर 03 वर्ष निरंतर कार्य सम्पादन के लिये सहमति का राशि रूपये दो लाख का अनुबंध-पत्र राशि रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 12.3 सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने के उपरान्त प्रशिक्षणार्थी को संविदा स्टाफ नर्स के रूप में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में कार्य हेतु आदेशित किया जावेगा। इस दौरान इन्हें एन.एच.एम. मध्य प्रदेश के निर्धारित मानदेय के साथ कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जावेगी।

13. चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को :-

उम्मीदवार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा। यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

14. प्रवेश प्रक्रिया नियमों में संशोधन का अधिकार :-

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन मान्य करना बंधनकारी होगा।

15. प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम :-

सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ (ब्रिज कोर्स) प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त उम्मीदवार को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट - 'स' में दिये गये हैं।

सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ (ब्रिज कोर्स) प्रशिक्षण हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं का पासपोर्ट
साईज फोटो
अपलोड करें

1. उम्मीदवार का नाम —
2. पिता/पति का नाम —
3. जाति (सामान्य, अन्य पिछडा वर्ग,
अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जाति) —
- यदि आरक्षित वर्ग के है तो प्रमाण पत्र अपलोड करें।
4. जन्मतिथि (10वी की अंकसूची) —
5. आधार नम्बर —
6. ई-मेल आई डी —
7. मोबाईल नम्बर —
8. बी.एस.सी.नर्सिंग उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं संस्था का नाम
-
9. नर्सिंग काउन्सिल का जीवित पंजीयन दिनांक —
10. मेडीकल फिटनेस प्रमाण पत्र —
11. प्रशिक्षण हेतु चाहा गया प्रोग्राम स्टडी सेन्टर
- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....

समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति स्वयं सत्यापित कर अपलोड करें।

आवेदिका का नाम —

हस्ताक्षर —

जिला —

घोषणा पत्र

1. मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

दिनांक

स्थान.....

आवेदिका का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ (ब्रिज कोर्स) हेतु सीटों का विवरण

क्रं.	प्रोग्राम स्टडी सेन्टर का नाम	कुल सीटों की संख्या
1	शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर	30
2	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन	30
3	जी.एन.एम.टी.सी. रायसेन	30
4	जी.एन.एम.टी.सी. विदिशा	30
5	जी.एन.एम. टी.सी. दतिया	60
6	जी.एन.एम. टी.सी. देवास	30
7	जी.एन.एम. टी.सी. सिवनी	30
8	जी.एन.एम.टी.सी. झाबुआ	30
कुल सीट		270

सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ (ब्रिज कोर्स) प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें

1. सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ (ब्रिज कोर्स) प्रशिक्षण की अवधि 06 माह की होगी।
2. सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ (ब्रिज कोर्स) प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का माध्यम अंग्रेजी होगा।
3. छात्रावास में सुविधा उपलब्ध होने पर प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है।(मेडिकल आधार पर आहार प्रतिबंध की स्थिति में छूट)
5. छात्राओं को कार्य (ड्यूटी समय) पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये अभिभावक से मिल सकने की व्यवस्था और बड़े त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा।
8. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।
9. छात्राओं को बाहर आने-जाने पर अपना नाम एवं पता, तथा अपने जाने/आने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
10. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रोग्राम स्टडी सेन्टर से दूसरे प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है।
11. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करना भी उम्मीदवार के लिये अनिवार्य होगा।
12. प्रशिक्षण में प्रवेश के समय उम्मीदवार को राशि रूपयें 2,00,000/- (दो लाख रूपये) का अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य है। यह अनुबंध प्रवेश उपरांत प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण उपरांत न्यूनतम 3 वर्ष तक हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर कार्य सम्पादन के लिये प्रभावी होगा।
13. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर अथवा प्राचार्य की शिकायत के आधार पर उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित करने का अधिकार शासन को होगा।